2018 का विधेयक संख्यांक 76

[दि मेन्सट्रुल हाईजीन मैनेजमेंट (अवेयरनैस एंड अफोर्डेबल सैनिटरी नैपकीन डिस्ट्रीब्यूशन) बिल, 2018 का हिन्दी रूपांतर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (जागरूकता और किफ़ायती स्वच्छता पैड का वितरण) विधेयक, 2018

महिलाओं और किशोरवय लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाना, स्वच्छता पैड का सुरक्षित उपयोग और निपटान, गांवों और दूरस्थ इलाकों में महिलाओं को किफायती स्वच्छता पैड की सुलभता और बायोडिग्रेडेबल पैड के उपयोग का संवर्धन तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (जागरूकता और किफ़ायती स्वच्छता पैड का वितरण) अधिनियम, 2018 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) ''किशोर'' से बच्चे से एक युवा के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया में एक युवा व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) ''समुचित सरकार'' से राज्य के मामले में उस राज्य की सरकार और अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ग) ''बायोडिग्रेडेबल'' से जीवाणु या अन्य जीवित जीव से अपघटित होने योग्य तत्व या वस्तु, और जो इस तरह प्रदूषण करने से बचे, अभिप्रेत है;

(घ) ''परामर्श'' से व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में पेशेवर सहायता और मार्गदर्शन का उपबंध अभिप्रेत है;

(ङ) ''शैक्षणिक संस्थान'' से ऐसा स्थान जहां विभिन्न आयु के व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसमें पूर्व-विद्यालय, बाल-देखभाल, प्राथमिक या आरंभिक विद्यालय, माध्यमिक या उच्च विद्यालय और विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है;

(च) ''गतिविधि'' से सेमीनार, कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान अभिप्रेत है;

(छ) ''मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन'' से महिलाओं और किशोर लड़कियों द्वारा रक्त अवशोषित या संग्रह करने के लिए उपयोग किये जाने वाले स्वच्छ मासिक-धर्म प्रबंधन सामग्री, जिसमें जरूरत के अनुसार शरीर को धोने के लिए जल और साबुन का उपयोग करते हुए तथा जिसे मासिक-धर्म अवधि के दौरान जरूरत के अनुसार एकांतता में बदला जा सके, और उपयोग किए गए मासिक-धर्म प्रबंधन सामग्री के निपटान की सुविधाओं तक पहुंच होना, अभिप्रेत है;

(ज) ''नॉन-बायोडिग्रेडेबल'' से जीवित जीवों की कार्रवाई से विखण्डित नहीं हो सकने वाले पदार्थ या तत्व अभिप्रेत हैं;

(झ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ञ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) ''स्वच्छता पैड'' से मासिक-धर्म अवधि के दौरान महिलाओं द्वारा अवशोषक सामग्री से बने पैड अभिप्रेत हैं;

(ठ) ''सिंथेटिक पैड'' से रासायनिक सम्मिश्रण से, विशेषकर एक प्राकृतिक उत्पाद की नकल पर, बनाये गए स्वच्छता पैड अभिप्रेत है।

स्वच्छ मासिक-धर्म प्रबंधन के बारे में जागरूकता सृजन।

3. समुचित सरकार पालन करने योग्य स्वच्छ मासिक धर्म प्रक्रियाओं के संबंध में गांवों तथा दूरस्थ क्षेत्रों के प्रत्येक सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान में कक्षाओं, सेमीनारों और परामर्श सत्रों जैसी गतिविधियों, जो वह उचित समझे, के आयोजन द्वारा और जन मीडिया माध्यमों के द्वारा महिलाओं और किशोर युवतियों के बीच स्वच्छ मासिक धर्म प्रबंधन के संबंध में जागरूकता लाने के लिए, ऐसे कदम उठाएगी जो वह आवश्यक समझे।

गांवों में वहनयोग्य कीमत पर स्वच्छता पैड की उपलब्धता।

4. समुचित सरकार, समुचित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट विद्यालय और महाविद्यालय परिसरों में कम कीमत पर गांवों में बायोडिग्रेडेबल स्वच्छता पैड उपलब्ध कराएगी।

गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वच्छता पैड का विक्रय।

5. समुचित सरकार, सुलभता के लिए किफ़ायती दरों पर गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी खुदरा केन्द्रों पर स्वच्छता पैड विक्रय के लिए प्रदान करेगी।

जैव-निम्नीकरणीय स्वच्छता पैड का उपयोग और विनिर्माण।

6. समुचित सरकार, सिंथेटिक पैड से उत्पादित नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए बायोडिग्रेडेबल स्वच्छता पैड के उपयोग और विनिर्माण का संवर्धन करेगी।

शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए शौचालयों का निर्माण।

7. समुचित सरकार, प्रत्येक सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान में महिलाओं के लिए शौचालयों की उपलब्धता और निर्माण सुनिश्चित करेगी।

8. केंद्रीय सरकार, सामान्यतया लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए तथा सार्वजनिक और आवासीय स्थलों को स्वच्छता पैड के कचरे से बचाने के लिए स्वच्छता पैड के सुरक्षित निपटान के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश देगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया जाना।

9. केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा विधि के माध्यम से इस हेतु किए गए उचित विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त निधि प्रदान करेगी।

केन्द्रीय सरकार अपेक्षित निधि प्रदान करेगी।

10. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

अधिनियम का अन्य विधियों के अल्पीकरण में न होना।

11. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के तुरंत बाद विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अद्यतन राष्ट्रीय स्वास्थ्य डाटा के अनुसार भारत के 36 राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों में से केवल सात में 15 से 25 आयु वर्ग की 90 प्रतिशत या अधिक महिलाओं ने माहवारी के दौरान स्वच्छता संरक्षण का उपयोग किया वर्ष 2015-16 में जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (एनएफएचएस) के अनुसार आठ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में महज 50 फीसदी महिलाओं ने भी माहवारी स्वच्छता से जुड़े स्वच्छ तौर-तरीकों का उपयोग नहीं किया। यह महिला सशक्तिकरण की बड़ी-बड़ी बातों के पीछे की अंधेरी वास्तविकता है। आज भी, महिलाएं इस अवधि के दौरान "अशुद्ध" समझी जाती हैं और उन पर सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। माहवारी के बारे में जुड़ी इस शर्म की वजह से यौवनारंभ होने पर लड़कियों को मजबूरन विद्यालय छोड़ना पड़ता है, जिससे भारत में महिला साक्षरता की अभिवृद्धि बाधित होती है। ग्रामीण भारत में 23 फीसदी लड़कियों ने माहवारी को विद्यालय छोड़ने के प्रमुख कारण के रूप में सूचीबद्ध किया है।

प्रजनन प्रणाली के संक्रमण (आरटीआई) महिलाओं में होना बहुत आम बात है और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एक प्रतिवेदन के अनुसार इन संक्रमणों से विश्वभर में प्रजनन आयु की एक-तिहाई महिलाएं प्रभावित हैं। डब्ल्यूएचओ ने यौन संचरित संक्रमणों (जिसमें आरटीआई का महत्त्वपूर्ण योगदान है) को "उच्च पांच रोग श्रेणियों" के रूप में वर्गीकृत किया है। ग्रामीण भारत में महिलाओं के आरटीआई से संक्रमित होने का अत्यधिक खतरा है, क्योंकि गांवों में शौचालय अनुपलब्ध हैं और स्वच्छता तक पहुंच अभी-भी सीमित है। भारत के अधिकांश भागों में स्वच्छता पैड या तो बहुत महंगे हैं या अनुपलब्ध हैं और जब तक हम महिलाओं में जागरूकता नहीं लाएंगे, धब्बे को नहीं हटाते, किफायती उत्पादों की सुलभता नहीं बढ़ाते, हम इस समस्या का समग्रता में समाधान नहीं कर रहे हैं।

नॉन-बायोडिग्रेडेबल स्वच्छता पैड भारत में एक बड़ी चुनौती है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निपटान प्रणाली प्रमुखतया अनुपलब्ध है। जनगणना 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार, भारत में 336 मिलियन लड़कियों और महिलाओं को माहवारी होती है और सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 121 मिलियन लड़कियां और महिलायें वर्तमान में स्थानीय या वाणिज्यिक रूप से उत्पादित उपयोग के बाद फेंकने योग्य स्वच्छता पैडों का उपयोग कर रही हैं। अंतिम परिणाम यह है कि विस्मयकारी एक बिलियन खाद नहीं बन सकने वाले पैड भारत में शहरी नालों, भराव स्थलों के साथ-साथ ग्रामीण स्थलों और जल स्थलों में प्रत्येक माह फेंके जा रहे हैं, जो अपघटित होने में वर्षों लेते हैं। निपटान योग्य उपचार विकल्पों की कमी से माहवारी कचरे की इतनी बड़ी मात्रा का प्रबंधन असुरक्षित तरीके से किया जा सकता है, इससे जहां कचरे का निपटान किया जाता है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होने के साथ-साथ क्षेत्र के जल चक्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माहवारी अब भी भारत में वर्जित विषय है और अधिकांश नीति-निर्माताओं को माहवारी की प्रत्यक्ष समझ नहीं होने के कारण नीति निर्माण करते समय इस मुद्दे को उतना महत्व नहीं दिया गया है, जितना देना चाहिए। महिलाओं और किशोरवय लड़कियों को स्वच्छता पैड बदलने और उनके निपटान करने के उचित तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्हें स्वच्छता कपड़े या पैड को बदलने के लिए गोपनीय जगह, हाथ, शरीर और पुनर्योज्य कपड़ों को धोने के लिए स्वच्छ पानी और साबुन तथा प्रयुक्त सामग्री के सुरक्षित निपटान के लिए सुविधाओं या अगर पुनर्योज्य हैं तो उन्हें सुखाने के लिए स्वच्छ जगह की आवश्यकता होती है। सिंथेटिक स्वच्छता पैड के उपयोग द्वारा उत्पादित नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरे की बड़ी मात्रा से बचने के लिए बायोडिग्रेडेबल पैड के विनिर्माण और उपयोग के संवर्धन की आवश्यकता है। महिला और पुरुष, दोनों को बेहतर माहवारी स्वच्छता प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जागरूकता रखने की भी आवश्यकता है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;   सुप्रिया सुले

6 फरवरी, 2018

17 माघ, 1939 (शक)

वित्तीय ज्ञापन

खण्ड 3 माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरुकता लाने का उपबंध करता है। यह शैक्षणिक संस्थानों में सेमीनार और परामर्श सत्रों के आयोजन का भी उपबंध करता है। खण्ड 4 गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों के साथ-साथ विद्यालयों और महाविद्यालयों में किफायती स्वच्छता पैड की उपलब्धता का उपबंध करता है। खण्ड 5 किफायती कीमत पर खुदरा केन्द्रों में स्वच्छता पैड के विक्रय का उपबंध करता है। खण्ड 6 बायोडिग्रेडेबल स्वच्छता पैड के विनिर्माण का उपबंध करता है। खण्ड 7 शैक्षणिक संस्थानों में शौचालयों के निर्माण का उपबंध करता है। खण्ड 9 में उपबंध है कि अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को निधियां प्रदाय करेगी। अत: विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि से व्यय अन्तर्ग्रस्त होगा। इस पर प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर पांच सौ करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय भी अन्तर्ग्रस्त होगा।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 11 समुचित सरकार को विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। नियम केवल ब्यौरे के मामलों से संबंधित होंगे अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

महिलाओं और किशोरवय लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाना, स्वच्छता पैड का सुरक्षित उपयोग और निपटान, गांवों और दूरस्थ इलाकों में महिलाओं को किफायती स्वच्छता पैड की सुलभता और बायोडिग्रेडेबल पैड के उपयोग का संवर्धन तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

MGIPMRND—4223LS—05-03-2018.